इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 463]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 अगस्त 2022—भाद्र 2, शक 1944

पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2022

क्रमांक एफ 3–5/2016/पैंतीस – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4849–4429–चौदह पशु चिकित्सा दिनांक 3 अगस्त 1971 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक/शीघ्रलेखक) पशुपालन एवं डेयरी सेवा भर्ती नियम 2022 है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषायें** :—

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा उक्त सेवा या पद पर नियुक्त करने की शक्ति न्यस्त की गई हो या इसमें इसके पश्चात् न्यस्त की जाए ;

(ख) **"आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग"** (ई0डबल्यू0एस) से अभिप्रेत है, ऐसा नागरिक जो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07—11/2019/आरक्षण प्रकोष्ठ/एक दिनांक 02 जुलाई, 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति प्रवर्ग में न आता हो;

(ग) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन संचालित प्रतियोगिता परीक्षा;

(घ) **"भूतपूर्व सैनिक"** से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तिथि से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययता यूनिट की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छंटनी की गयी हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक होने के कारण अतिशेष घोषित किया गया हो;—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त किया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने देश की सशस्त्र सेवाओं में या भूतपूर्व देशी रियासतों की सैनाओं में छः माह से अधिक सेवा की हो और जिन्हें कदाचरण के आधार पर सेवामुक्त न किया गया हो;

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित कर भर्ती किया गया हो; और

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण होने पर,

(ख) नामांकन सम्बन्धी शर्तें पूर्ण होने पर;

सेवामुक्त किया गया हो.

(4) मद्रास सिविल इकाई(यूनिट) के भूतपूर्व–सैनिक;

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण या गोली लगने तथा घाव आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से पृथक किया गया हो, अथवा दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं होने के कारण सेवामुक्त किया गया हो;

(ड.) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(च) **"सरकार"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(छ) **"अन्य पिछडा वर्ग"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछडे वर्ग, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया जाए;

(ज) **"प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड"** से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड;

(झ) **"छंटनी किये गये शासकीय सेवक"** से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य और इसकी इकाइयों में कम से कम छह माह लगातार सेवा की है और पदों की संख्या में कमी के कारण तीन वर्ष पहले सरकारी सेवा से ऐसी शर्तो में हटा दिया गया हो–

(क) रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण के पूर्व;

(ख) अन्य सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन की तारीख के पूर्व।

(ञ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ट) **"अनुसूचित जनजाति "** से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ठ) **"सेवा"** से अभिप्रेत है, अनुसूची–दो के कालम(3) में दर्शित सेवा;

(ड) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न अनुसूची;

(ढ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।

विस्तार एवं लागू होना. –

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

सेवा का गठन. –

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(क) जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे व्यक्ति;

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गए व्यक्ति; और

(ग) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गए व्यक्ति।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.–** सेवा का वर्गीकरण, उसके लिए निर्धारित वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, इससे संलग्न अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी तथा वित्त विभाग के उपबंधों के अनुसार समयमान वेतनमान की भी पात्रता होगी :

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय–समय पर स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्वि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.–**

(1) इन नियमों के लागू होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:–

(क) सीधी भर्ती द्वारा चयन, राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार किया जाएगा, साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

(ख) अनुसूची–चार में दर्शाये अनुसार सदस्यों की पदोन्नति द्वारा।

(ग) अन्य विभाग या सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण/संविलियन/प्रतिनियुक्ति द्वारा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाए अथवा उपयुक्त समझा जाए।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में उल्लिखित किये गये पदों की संख्या के साथ अनुसूची–दो में उल्लिखित प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुऐ सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा जैसा कि प्रत्येक तरीके द्वारा अपेक्षित किया जाए, प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी, यदि राज्य सरकार के अभिमत में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुऐ ऐसा करना अपेक्षित है तो सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, उक्त उप–नियम में उन विनिर्दिष्ट सेवा के तरीकों से अन्यथा सेवा मे भर्ती के तरीके को अपना सकेगी, जैसा कि इस बारे में आदेश द्वारा विहित किया जाए।

7. **सेवा में नियुक्ति.–**इन नियमों के लागू होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम–6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता सम्बन्धी शर्तें.–**परीक्षा में चयन किए जाने के लिए पात्रता हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

(1) आयु :–

(क) अभ्यर्थी ने चयन प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात् की आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को अनुसूची–तीन के कालम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कालम (5)में विनिर्दिष्ट आयु पूरी नहीं की हो।

(ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थी को सामान्य उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष शिथिलनीय होगी।

(ग) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष शिथिलनीय होगी।

(घ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ङ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की ''अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम'' के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति–पत्नी के सम्बन्ध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(च) शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था तथा नगर सैनिक के पुरूष एवं महिला अभ्यर्थी तथा आरक्षित वर्ग के पुरूष एवं महिला अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी जिसमें विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा भी सम्मिलित हैं, के सम्बन्ध में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी किन्तु किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(छ) निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

(ज) छंटनी किये गये सरकारी सेवक उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त सेवा की सात वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी हो, इस शर्त के अध्यधीन कि सात वर्ष कम करने के पश्चात उच्चतर आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो।

(झ) अभ्यर्थी जो कि भूतपूर्व सैनिक है के सम्बन्ध में उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह सामान्य उच्चतर आयुसीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नान–कमीशन अधिकारियों के सम्बन्ध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गयी नगर सेना सेवा की कालावधि के पूर्ण वर्षों के बराबर उच्चतर आयु सीमा में शिथिलनीय होगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(2) **शैक्षणिक अर्हता.**–अभ्यर्थी के पास अनुसूची–तीन में दर्शायी गयी सेवा के लिए विहित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताऐं होना चाहिए .–

परन्तु, नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार पर ऐसे अभ्यर्थियों को अन्यथा अर्ह हैं किन्तु जिन्होंने ऐसी अन्य संस्थाओं से जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नहीं हैं, या विदेशी विद्यालयों से उपाधियां धारण करते हैं को भी प्रोफेशनल एक्जानिमेशन बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर चयन के लिए विचार किया जा सकेगा।

(3) **शुल्क.–** अभ्यर्थी को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित शुल्क का संदाय करना होगा।

9. निरर्हता.–

(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से प्राप्त करने हेतु समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन के लिए निरर्हर माना जाएगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गयी न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हर होगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक संतान हों, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हर होगाः

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्त के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्व किसी अपराध का सिद्वदोष ठहराया गया हो, सेवा के लिए निरर्हर होगा।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, सेवा के लिए निरर्हर होगे।

10. **पात्रता के सम्बन्ध में विनिश्चय.–**

चयन में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के सम्बन्ध, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

11. **चयन द्वारा सीधी भर्ती.–**

(1) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अन्तरालों से किया जाएगा, जैसा कि सरकार समय–समय पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड/आयोग से परामर्श कर निश्चित करें।

(2) सीधी भर्ती के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण) नियम, 1998 के अनुसार 16 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियो, 20 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजातियों तथा 27 प्रतिशत पद अन्य पिछड़े वर्गो और 10 प्रतिशत पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाऐंगे।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार नियम–13 में निर्दिष्ट सूची में आए उनके नामों के कम में किया जाएगा चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक पद कुछ भी क्यों न हो।

(4) प्रशासन को दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान में रखते हुऐ सेवा में नियुक्ति के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा समुचित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं

अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी, उप नियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किए जा सकेंगे।

(5) यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो किसी भी शर्त पर उन पदों को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा नहीं भरा जाएगा।

(6) निःशक्तजनों के लिए प्रभागवार और संवर्गवार आरक्षण की व्यवस्था रहेगी।

(7) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–5–2/2018/1/3 दिनांक 25.07.2018 के उपबंधों के अनुसार भरी जाने वाली कुल रिक्तियों के 20 प्रतिशत पद संविदा आधार पर नियुक्ति व्यक्ति के लिए आरक्षित होंगे।

12 परिवीक्षा.–

सेवा में सीधी भर्ती से लिया गया प्रत्येक व्यक्ति तीन वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

टिप्पणः मूलभूत नियम 22 सी के उप–नियम (1) में बने उपबंधों के अनुसार ऐसी सेवायें, जिनके लिए लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसाए नही की जाती है उन्हें तीन वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा, जिसमें वे प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत स्टायपेंड तथा अन्य भत्ते जो नियमित शासकीय सेवक को दिए जाएंगे, के हकदार होंगे।

13. चयन समिति/ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची .–

(1) प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची शासन/नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड नियत मानक के अनुसार सूची एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूची जिसमें वे अन्यथा मानक के अनुसार नहीं हैं, किन्तु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा उन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का ध्यान रखते हुऐ, सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया है, तैयार करेगा।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अधीन उपलब्ध रिक्त स्थानों पर चयन सूची में दिये गए उनकी परस्पर ज्येष्ठता के कम से अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जाएगा।

(3) चयन सूची में सम्मिलित किए जाने पर अभ्यर्थी को तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं होता, जब तक कि शासन समस्त आवश्यक जांच करने के बाद इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी उपयुक्त है।

(4) चयन सूची जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष तक की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी। जिसकी विधिमान्यता सामान्य प्रशासन विभाग की स्वीकृति के पश्चात् आगामी छह माह के लिए बढाई जा सकेगी।

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति .–

(1) समिति अनुसूची–चार में उल्लेखित सदस्यों से मिलकर गठित की जाएगी। (लिपिक वर्गीय, अलिपिक वर्गीय एवं अराजपत्रित पद के लिए) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछडा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

(2) समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

(3) पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों द्वारा विनियमित की जाएगी।

15. **पदोन्नति के लिए पात्रता सम्बन्धी शर्ते.–**

समिति ऐसे समस्त संवर्ग के लिए जिनमें पदोन्नति की जानी है उन सभी व्यक्तियों पर विचार करेगी, जिन्होंने अनुसूची चार में यथावर्णित विहित सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो तथा पदोन्नति के वर्ष की प्रथम जनवरी को इस प्रकार विचार क्षेत्र में आते हैं। इन नियमों के अनुसार किसी कनिष्ठ व्यक्ति को सेवा की अवधि के आधार पर उसके वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व वरिष्ठ वेतनमान/पदोन्नति के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना .–**

(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी जो नियम–15 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति/स्थानांतरण हेतु उपयुक्त पाया गया हो। चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों के लिए पर्याप्त होगी। उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची भी उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जाएगी।

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए चयन, उनके मूल प्रवर्ग श्रेणी में वरिष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा।

(3) प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के नाम अनुसूची–चार में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के कम में रखे जाऐंगे।

स्पष्टीकरण.– ऐसे व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची को विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन लोगों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का दावेदार नहीं होगा। .

(4) तैयार सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जाएगी।

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रकिया में यह प्रस्तावित किया जाए कि अधीनस्थ सिविल सेवा के किसी सदस्य का अधिकमण किया जाय तो समिति प्रस्तावित अधिकमण के सम्बन्ध में अपने कारण को लेखबद्व करेगी।

17. **चयन सूची.–**

(1) अन्तिम रूप से नियुक्ति प्राधिकारी/सरकार द्वारा अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार में दर्शाये अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि नियम–15 के उप–नियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता, किन्तु उसकी

विधिमान्यता उसके तैयार किए जाने की तारीख से अठारह मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ायी जाएगीः

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, सरकार द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि उचित समझे, तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटाया जा सकेगा।

18. **परिवीक्षा .—**

सेवा में पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा के लिए नियुक्त किया जाएगा।

19. **निर्वचन .—**

यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.—**

इन नियमों में दी गयी किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिस पर ये नियम लागू होते है, राज्यपाल की ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती हैं, जो उसको उचित और न्यायसंगत प्रतीत होती हो:

परन्तु मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

21. **व्यावृत्ति.—**

इन नियमों में की गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडा वर्गो के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों के लिए उपबंध किए जाने को प्रभावित नहीं करेगी।

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति.—**

इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पहले लागू सभी नियम इसके द्वारा इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के सम्बन्ध में निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गयी कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गयी कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची-एक
(नियम-5 देखिए)
सेवा में वर्गीकरण,वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पद

विभाग का नाम	अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
पशुपालन विभाग	1.	अधीक्षक	20	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय सेवा	42700-135100	
	2.	स्हायक अधीक्षक	02	तदैव	32800-103600	
	3.	लेखा परीक्षक	07	तदैव	28700-91300	
	4.	सहायक ग्रेड-1	49	तदैव	28700-91300	
	5.	सहायक ग्रेड-2/सहा. लेखा परीक्षक	267	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	25300-80500	
	6.	लेखापाल	36	तदैव	25300-80500	
	7.	सहा. ग्रेड-3/स्टेनो टाईपिस्ट	435	तदैव	19500-62000	
	8.	वरिष्ठ निज सहायक	02	तृतीय श्रेणी शीघ्र लेखक संवर्ग	42700-135100	
	9.	निज सहायक	06	तदैव	36200-114800	
	10.	शीघ्रलेखक	18	तदैव	28700-91300	
	11.	स्टेनो टाईपिस्ट	18	तदैव	19500-62000	

अनुसूची-दो
(नियम-6 देखियें)
सेवा में भर्ती

विभाग का नाम	अनुक्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
				सीधी भर्ती द्वारा (नियम-6 (1)(क))	पदोन्नति द्वारा (नियम-6 (1)(ख))	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम-6 (1)(ग))
1	2	3	4	5	6	7
पशुपालन विभाग	1.	अधीक्षक	20	शून्य	100 प्रतिशत	
	2.	सहा.अधीक्षक	02	-	100 प्रतिशत	
	3.	लेखा परीक्षक	07	-	100 प्रतिशत	
	4.	सहायक ग्रेड-1	49	-	100 प्रतिशत	
	5.	सहायक ग्रेड-2/सहायक लेखा परीक्षक	267	-	100 प्रतिशत	
	6.	लेखापाल	36	-"-	100 प्रतिशत	
	7.	सहा. ग्रेड-3/ स्टेनो टाईपिस्ट	435	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति द्वारा भेरे जाएंगे।	परीक्षण अवधि अधिकतम 5 वर्ष जिसमें कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
	8.	वरिष्ठ निज सहायक	02	-	100	
	9.	निज सहायक	06	-	100	
	10.	शीघ्रलेखक	18	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	स्टेनो टाईपिस्ट से पदोन्नति द्वारा भरे जायेगे
	11.	स्टेनो टाईपिस्ट	18	100 प्रतिशत	-	-

अनुसूची-तीन
(नियम-8 देखियें)
सीधी भर्ती हेतु आयु तथा अर्हता

विभाग का नाम	अनुक्र.	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु -सीमा	अधिकतम आयु -सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हतायें	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
पशु पालन विभाग	1	तृतीय श्रेणी शीघ्रलेखक	18	40	अभ्यर्थि को बारहवीं(10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से शार्टहैण्ड परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र हो तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थाओं से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए।	
	2	सहायक ग्रेड-3	18	40	अभ्यर्थि को बारहवीं परीक्षा(10+2) उत्तीर्ण तथा विहित कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण होना चाहिए तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति हेतु उम्मीदवार को (10+2) प्रणाली के अंतर्गत बारहवी उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली के अनुसार हायर सेकण्डरी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।	
	3	स्टेनो टायपिस्ट	18	40	अभ्यर्थि को (10+2) बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा हिन्दी शीघ्रलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए एवं विहित कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा मान्यताप्राप्त विश्वद्यालय/संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए।	

अनुसूची–चार
(नियम–14 देखियें)
सेवा में सम्मिलित पदों पर पदोन्नति

विभाग का नाम	अनु क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोंन्नति की जायेगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	पदोन्नत्ति हेत न्यूनतम अहर्ता अवधि /अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम–13)	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पशु पालन	1.	सहायक अधीक्षक/ लेखा परीक्षक/ सहायक ग्रेड–एक	अधीक्षक	5 वर्ष	1 संयुक्त संचालक पशु पालन, संचालक पशु पालन द्वारा नाम निर्दिष्ट –अध्यक्ष 2 संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें संबंधित संभाग –सदस्य 3 उपसंचालक पशुपालन –सदस्य 4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी नामनिर्दिष्ट राजपत्रित स्तर का अधिकारी – सदस्य	अधीक्षक के पद जेष्ठता के आधार पर राज्य स्तरीय वरिष्ठता के आधार पर भरे जायेगं। सहायक अधीक्षक/लेखा परीक्षक के पद, योग्यता सह जेष्ठता के आधार पर राज्य स्तरीय वरिष्ठता से भरे जायेगें। लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नति किये जाने के लिए लेखा प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। परन्तु यदि प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध न हो तो ऐसे विभागीय उम्मीदवार जो पदोन्नति के समय लेख प्रशिक्षण में प्रशिक्षित नही हो वे भी लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नत किये जा सकते है, परन्तु उन्हें पदोन्नति के तारीख से दो वर्ष की अवधि में लेखा प्रशिक्षित होना होगा। अन्यथा उनका प्रत्यावर्तन उनके पूर्व पद पर कर दिया जाएग।
	2.	सहायक ग्रेड–दो/ सहायक लेखा परीक्षक/ लेखा पाल	सहायक अधीक्षक/ लेखा परीक्षक/ सहायक ग्रेड–एक	5 वर्ष		
	3	सहायक ग्रेड–3	सहायक ग्रेड–2/सहा. लेखा परीक्षक/ लेखा पाल	5 वर्ष		सहायक ग्रेड–2 सह लेखापाल /सह सहायक लेखा परीक्षक के पदों को भरते समय वरिष्ठता राज्य स्तरीय की होगी। जिसके लिए प्रथम नियुक्ति की तारीख अनिवार्य अर्हता उत्तीर्ण करने की तारीख वरिष्ठता हेतु मान्य होगी। लेखापाल के पद पर पदोन्नति किये जाने के लिए लेखा प्रशिक्षित होना अनिवार्य है।

विभाग का नाम	अनु क्र.	उस पद का नाम जिससे पर्दोन्नति की जायेगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	पदोन्नत्ति हेत न्यूनतम अहर्ता अवधि /अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम-13)	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						नोटः-जैविक उत्पाद संस्थान महू के पद संस्था में संधारित वरिष्ठता सूची के पदों के आधार पर भरे जाएंगे।
	4	निज सहायक	वरिष्ठ निज सहायक	5 वर्ष		ये पद वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर भरे जाएंगें।
	5	शीघ्रलेखक	निज सहायक	5 वर्ष		ये पद वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर भरे जाएंगें।
	6	स्टेनो टायपिस्ट	शीघ्र लेखक	5 वर्ष		ये पद वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर भरे जाएंगें।

No F- 3-5/2016/35- In exercise of the powers conferred by the provision to Article309 of the Constitution, of India and in supersession of this department`s notification No 4849-4429 – XIV-veterinary dated 3rd August, 1971, the State Government, hereby, make the following rules,namely: -

RULES

1. Short Title and Commencement.-

(1) These rules may be called the 'Madhya Pradesh class III (Ministerial /Stenographer) Animal Husbandry and Dairy Recruitment Rules,2022

(2) They shall come in to force from the date of their Publication in the Madhya Pradesh Gazzette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires -

(a) **"Appointing Authority"** means any officer who have been entrusted the power to appoint in services or posts by the state government or entrusted hereinafter.

(b) **"Economically weaker Section(EWS)"**means a citizen who does not come under any reserve category such as Scheduled Castees and Scheduled Tribes as per General Administration Department's circular No F-07-11/2019/reservation cell/one dated 2nd July,2019;

(c) **"Examination"** ,means competitive examination" conducted under rule 11.

(d) **"Ex-ServiceMan"** means a person who belongs to any of the following categories and was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months, and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the

date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(1) ex- Serviceman released under mustering out concessions;

(2) ex-serviceman who was employed for more than six months continuously in army of country and not released due to any misconduct;

(3) ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on-

(a) completion of short-term engagement;

(b) fulfilling the conditions of enrolment;

(4) ex-personnel of Madras Civil Units;

(5) officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) ex-serviceman who are medical boarded out on account of gunshot, wounds etc. or they are unlikely to become efficient soldiers;

(e) **"Governor"** means the Governor of Madhya Pradesh;

(f) **"Government"** means Government of Madhya Pradesh;

(g) **"Other Backward Classes"**means the other backward classes of citizens as specified by the state Government vide notification No F-8-5/XXV-4-84 dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

(h) **"Professional Examination Board"** means the Madhya Pradesh Professional Examination Board;

(i) **"Retrenched Government Servant"** means any person who have served at least for 6 months continuously in state and its units, and who have been removed from government service 3 years back due to reduction in number of posts in these conditions-

(a) Before registering in the Employment Office;

(b) Before date of application for other government services;

(j) **"Schedule"** means a schedule appended to these rules;

(k) **"Scheduled Castes"** means any caste, race of tribe of part of or group within a caste, race or tribe as specified scheduled castes with respect to state of Madhya Pradesh UnderArticle 341 of the Constitution India;

(l) **"Scheduled Tribes"** means any tribe, tribal community or part of or group within a tribe, tribal community as specified scheduled tribes" with respect to state of Madhya Pradesh Under Article 342 of the Constitution India;

(m) **"Service"** means the services included in the column (3) of schedule-II;

(n) **"State"** means State of Madhya Pradesh.

3. Scope and application.-

Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rule 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the Service.-

The Service shall consist of the following persons, namely: -

(a) persons who at the commencement of these rules are holding basically or substantively the post specified in Schedule-I;

(b) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(c) Person recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, Scale of Pay etc.-

The classification of the service, the scale of Pay and the number of posts included, in the service shall be in accordance with the provisions contained in

schedule-I, annexed herewith and eligibility of time scale, also be in accordance with the provisions made by the he Finance Department:

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the service either in a permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment.

(1) Recruitment to the service after the commencement of these rules, shall be By the following methods viz.-

(a) Selection by direct recruitment according to the directives issued by state Government, interview will not be taken,

(b) By promotion of members as mentioned in schedule-IV

(c) By transfer/ absorption/ by deputation of person from other department or services as may be considered suitable or directed by the Government.

(2) Number of person recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule schedule (1) shall not exceed the number posts as shown in schedule-I and the percentage shown in Schedule-II

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to the adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the Service as may be required by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Professional Examination Board.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the Service so require, the Government may with the concurrence of the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the Service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. Appointment to the service.-

the age after deducting 7 years shall not be more than 3 years of upper age limit;

(i) A candidate who is an ex-service man will be allowed to deduct from his age, the period of all defense services previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3years;

(j) The Home guard and Non-Commissioned officers shall get the relaxation of their whole previous service in home guard or defense, and their upper age limit shall be relaxed subject to condition that their relaxed age will not exceed 45 years.

(2) **Educational Qualifications.-** Candidate must possess the educational qualification prescribed for the service as shown in Schedule-III:

provided that Candidate who are otherwise qualified but taken degree from Foreign Universities, being Universities not specifically recognized by Government, may also be considered for selection at the discretion of the Professional Examination Board / Appointing Authority.

(3) **Fees: -**

Candidate must pay the fees prescribed by the Professional Examination Board / Appointing Authority.

9. Disqualification:-

(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his/hir candidature by any means may be held by the Appointing Authorityto disqualify him from the selection.

(2) No candidate shall be eligible for appointment to service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage.

(3) No candidate shall be eligible for appointment to service or post who has more than two living Children,one of whom is born on or after 26th January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already on living child and next delivery takes place on or after the 26th January,2001, in which two or more two children are born.

(4) No candidate shall be eligible who has proven guilty for any misconduct against women.

(5) No candidate shall be eligible who have more than one living wife or any women who got married to such person who have already living wife, shall also be disqualified for the service.

10. Decision about the eligibility.-

The decision of the Professional Examination Board / Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final.

11. Direct Recruitment by Selection :-

(1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the State Government may, in consultation with the Professional Examination Board, from time to time, determine.

(2) As per the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Rule 1998, 16% posts for Scheduled castes, 20% posts for Scheduled Tribes, 27% posts for Other Backward Classes and 10% post of the Economic Weaker section Candidates shall be reserved and for the female candidates the posts shall be reserved in accordance with the Madhya Pradesh Civil Service (Special Provisions for appointment of women candidate) Rule,1997.

(3) In filling the vacancies so reserved for candidates who are member of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 13irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) Candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Other Backward classes, by the Professional Examination Board to be suitable for

(2) According to these rules and the provisions made therein Madhya Pradesh Civil Service (General Condition of Service) Rule, 1961, the candidate shall be considered for appointment as per their inter-se seniority as given in the select list against the available vacancies.

(3) The inclusion in the selected list shall not make the candidate entitled for appointment, unless government satisfied them self after applying all necessary checks candidate's suitability.

(4) The select list shall be valid for the period of one year from the date of issue. The validity of which can be extended for next six months after the acceptance of the General Administration Department.

14. Appointment by Promotion.-

(1) A committee shall be constituted consisting of members mentioned in the Schedule-IV. (For ministerial/non ministerial and non gazzetted post).Gazzetted officer shall be appointed to represent Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(2) The committee shall meet at interval ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in promotion and zone of consideration shall be governd by the instructions issued by General Administrative Department from time to time.

15. Conditions of eligibility for promotion.-

The committee shall consider all such person who have completed the prescribed length of service as mentioned in schedule-IV and are under zone of consideration, as on first January of the year of promotion, for all such cadre from whom the promotion is to be made. According to these rules any junior person shall not be considered for senior scale/promotion on the basis of length of service before the person who is senior to him.

16. Preparation of list of suitable officers: -

(1) The committee shall prepare the list of such person who satisfy the conditions prescribed in the rule –15 and as are held by the committee to be suitable for

promotion/ transfer. This list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of select list. A reserve list consisting of 25% of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects, with due regard to seniority, in their substantive grade.

(3) The name of officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or post as specified in schedule-IV at the time of preparation of each select list.

Explanation: - A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have No claim to seniority over those considered in a subsequent selection, merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of state subordinate civil service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. Selection List. -

(1) The list as finally approved by Appointing Authority/Government shall form the select list for promotion of the members of the service as shown in Schedule-IV.

(2) The select list ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15, but its validity shall not be extended beyond a total period of eighteen months from the date of its preparation:

Provided that in the event of grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government, if it thinks fit remove the name of such person from the select list.

18. Interpretation: -

If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

19. Relaxation: -

Nothing in these Rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it, to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner lees favorable to him than that provided in these rules.

20. Saving.-

Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the order issued by the State Government from time to time in this regard.

21. Repeal and Saving: -

All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules;

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under corresponding provision of these rules.

Schedule-I

(See rule 5)

Classification in service, scale of pay and posts included in the service

Name of department	S.No	Name of the post included in the service	Number of post	classification	Pay Scale	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Animal Husbandry Department	1.	Superintendent	20	Class-III Ministerial Service	42700-135100	
	2.	Assistant Superintendent	02	--"--	32800-103600	
	3.	Auditor	07	--"--	28700-91300	
	4	Assistant Grade I	49	--"--	28700-91300	
	5	Assistant Grade-II/ Assistant Auditor	267	Class-III Ministerial Service	25300-80500	
	6	Accountant	36	--"--	25300-80500	
	7	Assistant Grade–III /Steno Typist	435	--"--	19500-62000	
	8	Senior Personal Assistant	02	Class-III Stenographer Category	42700-135100	
	9	Personal Assistant	06	--"--	36200-114800	
	10	Stenographer	18	--"--	28700-91300	
	11	Steno Typist	18	--"--	19500-62000	

Schedule-II

(See rule 6)

Recruitment in service

Name of department	S.No	Name of the post included in the service	Number of post	Percentage of number of posted to be filled		
				By Direct Recruitment [see rule 6(1)(a)]	By promotion [see rule 6(1)(b)]	By transfer/ deputation By [see rule 6 (1)(c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Animal Husbandry Department	1.	Superintendent	20	-	100%	
	2.	Assistant Superintendent	02	-	100%	
	3	Auditor	07	-	100%	
	4	Assistant Grade I	49	-	100%	
	5	Assistant Grade-II/Assistant Auditor	267	-	100%	
	6	Accountant	36	-	100%	
	7	Assistant Grade-III /Steno Typist	435	75%	25% filled By promotion From class IV	Trial Period of Maximum 5 years in which it shall be mandatory to pass the computer examination.
	8	Senior Personal Assistant	02	-	100%	
	9	Personal Assistant	06	-	100%	
	10	Stenographer	18	50%	50%	To be filled by Promotion From Steno-Typist
	11	Steno-typist	18	100%	-	

Schedule-III

(see sule-8)

Age and qualification for direct recruitment

Name of Department	S.No.	Service Name	minimum age Limit	Maximum age Limit	prescribed educational qualifications	Accusn
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Animal Husbandry Department	1.	Steno grapher Grade III	18	40	The candidate should have passed (10+2) 12th examination and must have passed shorthand examination with a speed of 100 words per minute and computer Proficiency Certification Test at the speed of 30 words per minute and one year computer diploma Certificate from recognized university /institutions by the Government Madhya Pradesh.	
	2.	Assistant Grade - III	18	40	Candidate must have passed (10+2) 12th examination and computer Proficiency certification Test prescribed by Madhya Pradesh Government and must have one year computer diploma from recognized universities / institutions by Governent of Madhya Pradesh For promotion from Class IV, it is mandatory for a candidate to pass 12th under(10+2) system or pass higher secondary as per old	

					system.	
	3	Steno-taypist	18	40	The candidate must have passed 12th under (10+2) examination and should have a speed of 80 words per minute in Hindi short hand. Must have passed computer Proficiency Certification Test and must have one year per computer Diploma from recognized university /institutions	

Schedule-IV

(see rule 14)

Promotion to the posts included in the Service

Name of department	S. No	name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Minimum qualifying period for promotion Experience	Name of the member of the Departmental Promotion committee (Rule - 13)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Animal Husbandry Department	1.	Assistant Superintendent/Auditor/ Assistant grade -I	superintendent	5 years	1. Joint Director Animal Husbandry, Nominated by the Director Animal Husbandry- **Chairman** 2. Joint Director, Veterinary Services Related Division- **Member** 3. Deputy Director Animal Husbandry - **Member** 4.Nominated Gazetted officer **Member** 5. Representing Scheduled Castes/ Scheduled	The posts of superintendent Shall be filled on the basis of seniority at the state level on the basis of seniority of the head..
	2	Assistant Grade-II/ Asstatant Auditor/ Accountant	Assistant Superintendent/ Auditor /assistant Grade I	5 years		The posts of Assistant Superintendent / Auditor Shallbe filled on the basis of seniority at the state level on the basis of merit, seniority. To be promoted to the post of auditor, it is necessary to be trained in accounting. Provided that if trained person is not available, then such departmental candidates who

					Tribes/ Other Backward Classes Category- **Member**	are not trained in accounting training at the time of promotion can also be promoted to the post of auditor, but they shall be given a period of two years from the date of promotion to be trained in accountingh otherwise they will reverted to their former post.
	3.	Assistant. Grade--III	Assistant Grade-II/ Assistant/ Auditor/ Accountant	5 years		While filling the posts of Assistant Grade-II cum Accountant cum Auditor, the seniority shall be done at the state level. for which the first appointment The date of passing the essential qualification will be valid for seniority. To be promoted to the post of accountant, it is necessary to be trained in accounting. Note:- The posts of Organic Produce Institute

						Mhow shall be filled on the basis of seniority on the basis of the posts of the institute.
	4.	Personal Assistant	Senior Private Assistant	5 years		These posts shall be filled on the basis of seniority cum merit.
	5	Steno-grapher	Personal Assistant	5 years		These posts shall be filled on the basis of seniority cum merit.
	6	Steno-Typist	Steno-grapher	5 years		These posts shall be filled on the basis of seniority cum merit.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एन. कांसोटिया, अपर मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.